मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क...../2018/डी.एम.सी./चार भोपाल, दिनांक जुलाई, 2018

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विषयः—मध्य प्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम, 2009 का पालन करने बाबत्।

=0=

विभागीय अधिसूचना क. 1222—09—डी.एम.सी.—ब—7—चार दिनांक 20 नवम्बर, 2009 से मध्य प्रदेश सरकार प्रत्याभूति नियम, 2009 (संशोधित) बनाये गये हैं। उक्त नियमों के प्रावधानों के तहत् राज्य शासन द्वारा उधारों तथा उन पर ब्याज के प्रतिसंदाय के लिये प्रत्याभूति दी जाती है।

2/— राज्य शासन के संज्ञान में आया है कि कुछ प्रकरणों में वित्त विभाग / मंत्रि—परिषद द्वारा प्रतिभूति प्रदाय करने की सहमति प्रदान की है, जबकि प्रत्याभूति नियम, 2009 के नियम 2 के अनुसार संबंधित प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अपेक्षित समाधान की कार्यवाई पूर्ण नहीं हुई है । अतः ऐसे प्रकरणों में वित्त विभाग की सहमति को सैद्धान्तिक सहमति मान्य कर, प्रत्याभूति करार के निष्पादन के पूर्व प्रत्याभूति नियमों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

19/7/2018

(डॉ0 मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क...../2018/डी.एम.सी./चार भोपाल, दिनांक जुलाई, 2018

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव (समन्वय), म0प्र0शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म0प्र0 भोपाल।
4. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म0प्र0शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल।
5. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, भोपाल।
6. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, म0प्र0।
8. समस्त राज्य स्तरीय प्रमुख, निजी क्षेत्र के बैंक, म0प्र0।
9. समस्त अध्यक्ष, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, म0प्र0।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग